Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 36–2025] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025 (BHADRA 17, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2025

क्रमांक 2/7/1996–2 गृह (गोपनीय).– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/09/2025 से 11/12/2025 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक 4 सितम्बर, 2025.

12066—C.S.—H.G.P., Pkl.